छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक एफ–4–99/सात–1/2012 रायपुर, दिनांक 30 DEC 2013 /12/2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ ।

विषयः– छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं 172 में हुये संशोधनों के फलस्वरूप डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ–4–99/सात–1/2012, दिनांक 1 अक्टूबर 2013 एवं दिनापंक 30 अक्टूबर 2013 ।

———:0:———

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं 172 में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैः–

(1) छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 (क्र. 14 सन्2011) (छ.ग. राजपत्र दिनांक 11 मई 2011) के माध्यम से संहिता की धारा 59 की उप धारा (5) तथा धारा 172 में क्रमशः शब्द ''उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''सक्षम प्राधिकारी'' प्रतिस्थापित किया गया है ।

(2) संहिता की धारा 172 के तहत निर्मित व्यपवर्तन (संशोधन) नियम (छत्तीसगढ राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2011 एवं दिनांक 23 मई 2012) के अनुसार व्यपवर्तन की अनुज्ञा हेतु ''उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर ''सक्षम प्राधिकारी'' प्रतिस्थापित किया गया है ।

(3) छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2013 (क्र. 32 सन 2013) (प्रकाशित राजपत्र दिनांक 19 अगस्त 2013) के अनुसार संहिता की धारा 59 की उप धारा (2–क) में ''उपखण्ड अधिकारी'' के स्थान पर ''सक्षम प्राधिकारी'' प्रतिस्थापित किया गया है तथा धारा 172 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोडा गया हैः–

> ''परन्तु यह और कि यदि किसी ऐसी भूमि, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, का भूमिस्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजनों, जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, के लिए अथवा ऐसी भूमि या उसका कोई भाग जिसका निर्धारण कृषि प्रयोजन हेतु किया गया है तथा जो विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित करना चाहता है, तो भूमिस्वामी द्वारा अपने आशय की

सक्षम प्राधिकारी को दी गई लिखित जानकारी पर्याप्त होगी तथा ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं होगी ।''

2/ भू–राजस्व संहिता में किये गये उपरोक्तानुसार संशोधनों के संबंध में राज्य स्तर पर इस आशय की सूचनायें प्राप्त हो रही है, कि उक्त संशोधित प्रावधानों के कियान्वयन के लिए अलग–अलग जिलों में अलग–अलग प्रकियायें अपनाई जा रही है । कुछ जिलों से निम्न बिन्दुओं पर मागदर्शन भी चाहा गया है:–

(1) क्या धारा 172 के संशोधित प्रावधानों के तहत भूमिस्वामी से नगरीय क्षेत्रों में विकास योजना में निर्धारित प्रयोजन के अनुसार अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के बाद पुनर्निर्धारण हेतु भूमि व्यपवर्तन के लिए निर्धारित पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा ?

(2) धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

3/ इस तरह की कठिनाईयों कई जिलों में होगी, अतः प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाहियों में एकरूपता रखने की दृष्टि से उपर कण्डिका 2 में दर्शित बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

(1) यदि कृषि भूमि विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में है और कोई व्यक्ति ऐसी भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे व्यपवर्तन हेतु केवल इस आशय की लिखित सूचना देना भर पर्याप्त होगा । पृथक से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । सूचना देने के बाद भूमिस्वामी का कोई दायित्व शेष नहीं रह जाता है । सूचना पत्र के साथ भूमिस्वामी को प्रश्नाधीन भूमि पर अपने स्वामित्व संबंधी अभिलेख तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, कि भूमि विकास योजना के अन्तर्गत नहीं आता है, देना होगा । सूचना प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा, कि वह औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि का नियमानुसार पुनर्निर्धारण संहिता की धारा 59 के तहत करे । ऐसे पुनर्निर्धारण के लिए संहिता की धारा 172 के तहत व्यपवर्तन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जैसे विभिन्न ऐजेंसियों से अभिमत प्राप्त करना, ईश्तहार जारी करना, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव सहित अभिमत प्राप्त करना आदि की आवश्यकता नहीं है । पुनर्निर्धारण के लिए अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों से संसूचित प्रयोजन के लिए निर्धारित भू–राजस्व/भू–भाटक की दर के आधार पर जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पुनर्निर्धारण की कार्यवाही करना पर्याप्त है । इसी तरह यदि भूमि ऐसे नगरीय क्षेत्र, जहां विकास योजना का निर्माण नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के द्वारा कर लिया गया है, स्थित है, तो भूमिस्वामी को अपने लिखित सूचना पत्र के साथ स्वामित्व संबंधी अभिलेख तथा विकास योजना में अंगीकृत उपयोग की प्रमाणित जानकारी भर देना पर्याप्त है । ऐसी सूचना पत्र मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संहिता की धारा 59 के तहत पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।

(2) धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा, जो धारा 172 के तहत है । संहिता की धारा 172 के तथा इसके तहत निर्मित व्यपवर्तन नियमों में आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर अलग–अलग सक्षम प्राधिकारी यथा तहसीलदार/अधीक्षक भू–अभिलेख (व्यपवर्तन), अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, तथा राज्य शासन को सक्षम

प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । संहिता की धारा 59 के तहत पृथक से सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित नहीं किया गया है । अतः संहिता की धारा 59 के तहत सक्षम प्राधिकारी वही होंगे, जो धारा 172 के नियमों के तहत अधिसूचित किये गये हैं । भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन है, उनके पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव जांच प्रतिवेदन के साथ नियमानुसार राज्य शासन को भेजा जावे ।

(के.आर.पिस्दा)
सचिव 28/12/2013
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ–4–99/सात–1/2012 रायपुर, दिनांक /12/2013
30 DEC 2013

प्रतिलिपिः–

संभागीय आयुक्त सर्व . . . . . .
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव 28/12/2013
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

KEAMS

"...नस-पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मई 2011—वैशाख 21, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

KEXAMS

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3379/डी. 119/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 59 का संशोधन. 2. (1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
"(च), (छ) तथा (ज)."

(2) धारा 59 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
"(च) आवासीय कालोनी/परियोजना,
(छ) सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन,
(ज) चिकित्सा सुविधा केन्द्र."

(3) धारा 59 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"परन्तु यह और कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि के व्यपवर्तन हेतु पुन: निर्धारण से छूट होगी."

(4) मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) में शब्द "उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 172 का संशोधन. 3. (1) मूल अधिनियम की धारा 172 में, जहां कहीं शब्द "उपखण्ड अधिकारी" आया हो, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (5) में, शब्द "दो सौ रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" तथा "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(4) मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (6-क) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 241 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (4) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 247 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (7) के परन्तुक में, जहां कहीं शब्द "एक हजार रुपये" आया हो, के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 248 का संशोधन.

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में, शब्द "पांच हजार रुपये" तथा "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" तथा "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 250 का संशोधन.

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (6) में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (9) में, शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (9) के परन्तुक में, शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) मूल अधिनियम की धारा 250-ख की उपधारा (4) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 253 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2011

क्रमांक 3379/डी. 119/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

जनेरा पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 327] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2011—पौष 2, शक 1933

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ–6–74/सात–3/2010.— छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप–धारा (2) एवं सहपठित धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. इन नियमों में, शब्द "उप–खण्ड अधिकारी" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"2. **परिभाषाएं**.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) ;

(ख) **"वाणिज्यिक प्रयोजन"** से अभिप्रेत है, किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के लिए किसी परिसर (स्थल) का उपयोग जिसमें एक दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बैंक, कार्यालय, अतिथि गृह, हॉस्टल, रेस्टॉरेन्ट (रेस्तरॉं), ढाबा (चाहे उसका निर्माण कच्चा हो या पक्का), शो–रूम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक प्रतिष्ठान, धर्मकांटा (वे–ब्रिज), गोदाम, वर्कशॉप या कोई अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां सम्मिलित हैं तथा इसमें आंशिक रूप से निवास के लिये एवं आंशिक रूप से वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये उपयोग भी सम्मिलित है;

(ग) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो अधिनियम की धारा 172 में तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(घ) **"विकासकर्ता"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी प्लाट के उप–विभाजन, पुनःनिर्माण या सुधार की इच्छा रखता हो या प्रयास करता हो;

(ङ) **"जिला मूल्यांकन समिति"** से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 4 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी जिले के लिए समय–समय पर गठित की गई समिति;

(च) **"औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक संपदा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम या निजी निवेशक द्वारा उद्योग या उद्योगों की स्थापना के लिये यथास्थिति विकसित की गई भूमि का क्षेत्र, जिसमें अनिवार्य कल्याणकारी एवं सहायक सेवाएं जैसे पोस्ट ऑफिस, निवास कॉलोनी (कर्मचारियों के लिए), शैक्षणिक संस्थान, कोल्ड स्टोरेज, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, विद्युत केन्द्र एवं जल प्रदाय केन्द्र व अपशिष्ट पदार्थो के निकासी की सुविधाएं, औषधालय या अस्पताल, बैंक, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, वे–ब्रिज आदि सम्मिलित हैं;

(छ) **"औद्योगिक प्रयोजन"** से अभिप्रेत है, वर्कशॉप के लिए किसी परिसर या किसी उद्योग जिसमें मध्यम या दीर्घ उद्यम इकाई या पर्यटन केन्द्र सम्मिलित है, के लिये खुले क्षेत्र का उपयोग तथा इसमें ईंट निर्माण की भट्ठी शामिल होगी किन्तु खण्ड (ख) में यथा परिभाषित प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने वाले कोई परिसर सम्मिलित नहीं होंगे;

(ज) **"संस्थागत प्रयोजन"** से अभिप्रेत है, कोई परिसर या खुला स्थान जिसका उपयोग किसी संस्थान, संगठन तथा संघ द्वारा लोकोपयोगी प्रयोजन को छोड़कर किसी प्रयोजन विशेषतः सामान्य उपयोगिता, धर्मार्थ, शिक्षा या समान उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है;

(झ) **"स्वास्थ्य सुविधाएं"** में क्लीनिक, डिस्पेंसरी, अस्पताल, जांच केन्द्र, नर्सिंग होम आदि शामिल हैं;

(ञ) **"मास्टर प्लान क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र 23 सन् 1973) के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु तैयार की गई या अनुमोदित मास्टर प्लान द्वारा आच्छादित क्षेत्र;

(ट) **"निवेश क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, मास्टर प्लान या विकास योजना से आच्छादित किसी शहर या नगर का क्षेत्र;

(ठ) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, मानव तथा इसमें फर्म, रजिस्टर्ड सोसायटी, व्यक्तियों का संघ, निगमित निकाय या कोई अन्य कानूनी व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) **"सार्वजनिक प्रयोजन"** से अभिप्रेत है, धर्मशाला, धार्मिक स्थान, गौशाला या सार्वजनिक उद्यान;

(ढ) **"ग्रामीण क्षेत्र"** से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो अधिसूचित क्षेत्र या नगरीय निकाय तथा उसके धारित क्षेत्र में सम्मिलित न हो;

(ण) **"निवास इकाई"** से अभिप्रेत है, मानव के रहने के लिए किसी परिसर का उपयोग, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर से अधिक न हो;

(त) **"आवासीय कालोनी/परियोजना"** से अभिप्रेत है, इच्छुक व्यक्ति को आगे विक्रय करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकसित किए गए आवासीय प्लाट/फ्लैट/मकान

(थ) "धारा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा;

(द) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनूसूची;

(ध) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 (य–4) के अधीन यथा परिभाषित क्षेत्र.

3. इन नियमों के नियम 2 को पुनःक्रमांकित किया जाए,–
"2–क"

4. नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"13. **व्यपवर्तित भूमि का अंतरण.**– इन नियमों के अधीन किसी गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से व्यपवर्तित कोई भूमि, व्यपवर्तन (परिवर्तन) शुल्क की अदायगी के बिना अंतरित की जा सकेगी.

14. **भूमि जिसके व्यपवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी.**– निम्नलिखित के व्यपवर्तन के लिये अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी–

(1) भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अंतर्गत अधिग्रहण के अधीन कोई भूमि;

(2) किसी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्मित किसी अधिनियम या नियमों में यथाविनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित कोई अन्य मार्ग, अथवा भारतीय सड़क संगठन की मार्गदर्शिका में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण सड़कों के मध्य बिंदु से, जो भी वृहद (लम्बा) हो, की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि;

(3) एक औद्योगिक इकाई या चूने की भट्ठी या क्रशर संयंत्र या औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम की आबादी के वाह्य सीमा से 1.5 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि. यह प्रतिबंध उन भूमियों पर लागू नहीं है, जहां ईंट भट्ठी, गैर प्रदूषण वाले उद्योगों, लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए व्यपवर्तन चाहा गया हो;

(4) तालाब, नदी, नाला, झील के जल भराव के अंतर्गत आने वाली भूमि या पगडण्डी या कब्रिस्तान या ग्राम के तालाब के अंतर्गत धारित भूमि भले ही उनका ग्राम के राजस्व नक्शों या राजस्व अभिलेख में कोई विवरण न हो;

(5) सभी कंपनियों के भूमिगत पाईपलाईन के सीधे 10 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्र में आने वाली भूमि;

(6) तेल कंपनियों के भण्डार डिपो के 50 मीटर के त्रिज्या में आने वाली भूमि;

(7) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से संबंधित मानदण्ड) विनियम, 2010 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि या भवन.

15. **नियम का उल्लंघन करने पर बेदखली.**– कोई व्यक्ति जो नियम 14 का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि का उपयोग करता है या ऐसी भूमि जो उसके द्वारा धारित खाते (अभिलेख) में दर्ज नहीं है, का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग करता है तो वह अधिनियम की धारा 250 के अनुसार बेदखली के लिये दायी होगा.

16. **ब्याज.**– कोई व्यक्ति, जो व्यपवर्तन शुल्क की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गये समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसी कालावधि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा.

17. **व्यपवर्तन शुल्क/दण्ड/ब्याज का भुगतान.**– व्यपवर्तन शुल्क, दण्ड, ब्याज भुगतान की राशि, राजस्व शीर्ष में चालान के द्वारा बैंक या कोषालय में जमा करायी जायेगी."

5. नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात् :–

"अनुसूची
(नियम 14 देखिए)

(भूमि व्यपवर्तन के लिये अनुज्ञा)

स.क्र.	भूमि व्यपवर्तन का प्रयोजन	भूमि व्यपवर्तन की सीमा	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवासीय कालोनी/परियोजना	(एक) ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्गमीटर तक	तहसीलदार/अधीक्षक भू–अभिलेख (व्यपवर्तन)
		(दो) ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र में 5000 वर्गमीटर तक	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
		(तीन) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में 5000 वर्गमीटर से अधिक	कलेक्टर
2.	सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन	(एक) 5,000 वर्गमीटर तक	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
		(दो) 5,000 वर्गमीटर से अधिक	कलेक्टर
3.	चिकित्सा सेवाएं	(एक) 5,000 वर्गमीटर तक	कलेक्टर
		(दो) 5,000 वर्गमीटर से अधिक	राज्य शासन
4.	वाणिज्यिक प्रयोजन	(एक) 5,000 वर्गमीटर तक	कलेक्टर
		(दो) 5,000 वर्गमीटर से अधिक	राज्य शासन
5.	औद्योगिक प्रयोजन	राज्य शासन"	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप–सचिव.

स पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-74/7-3/2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के सम्मुख कॉलम (2) की प्रवृष्टि में, शब्द "आवासीय कालोनी/परियोजना" के पूर्व शब्द "आवासीय इकाई/" अंत:स्थापित किया जाये.

2. सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	भूमि व्यपवर्तन का प्रयोजन	भूमि व्यपवर्तन की सीमा		सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)		(4)
"5.	औद्योगिक प्रयोजन	(एक)	2 हेक्टेयर तक	कलेक्टर
		(दो)	2 हेक्टेयर से अधिक	राज्य शासन'